न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी– श्री बलदेव सिंह

98/2014

तारीख रजू 04.04.14

पुत्र लोहडे जाति गूर्जर निवासी ग्राम सालौदा तहसील गंगापुर सिटी । –अपीलार्थी

बनाम

गंगापुर सिटी जरिए अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद,गंगापुर सिटी ।
तहसील गंगापुर सिटी।
गंगापुर सिटीं। .

– प्रत्यर्थीगण

:निर्णय ::

दिनांक 24.08.2015

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1958 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलादार, सिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.13के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा तहसीलदार ने अधिकारी,नगरपालिका गंगापुर सिटी द्वारा पत्रावली संख्या 2610 में पारित आदेश दिनांक 08,03,13की में अपीलार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 524 रकबा 0.52 हेक्टर वाके ग्राम सालौदा का संख्या 442 नगरपालिका,गंगापुर सिटी के पक्ष में तस्दीक किया गया है।नगरपालिका,गंगापुर सिटी आदेश दिनांक 08.03.13 सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.14 को निरस्त कर दिया गया है। आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 442 अस्तित्व में रहने योग्य नही है,अतः नामान्तरकरण संख्या 442 .13 को निरस्त किये जाने बाबत निवेदन किया है।

प्रस्तुत होने पर दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिए नोटिस की गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय संबंधी मूल नामान्तरकरण की प्रति तलब की गयी। प्रत्यर्थी संख्या–1जरिए अभिभाषक उपस्थित अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण प्रति प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान् वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।विद्वान् अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि आराजी खसरा नम्बर 524 रकबा 52 ऐयर भूमि सदैव से की खातेदारी व कब्जे काश्त में रही है तथा अपीलार्थी इस पर काबिज रहकर लाभान्वित होताआ रहा न्यायालय ने अपीलार्थी को नोटिस दिये बिना ही उसकी खातेदारी कृषि भूमि को विधि से नामान्तरकरण संख्या 442 के द्वारा नगरपालिका गंगापुर सिटी के नाम दर्ज कर दिया जो कि न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। अपीलार्थी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही हुआ है । इस की विधि के परिपेक्ष्य में भी निरस्तनीय है। विद्वान् वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि खोलने से पूर्व नामान्तरकरण नियमों के तहत विवादित आराजी की मौके व कब्जे की जांच किया आवश्यक है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व कब्जे बाबत कोई की है। इस आधार पर भी नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है। विद्वान् वकील अपीलार्थी ने बहस में तर्क दिया कि नामान्तरकरण संख्या 442 ना तो राजकीय अनुशंषा पर खोला गया है और ना ही द्वारा किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति को उक्त करवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। इस आधार अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने है। विद्वान् वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा आलोल्य नामान्तरकरण अधिकारी,नगरपालिका,गंगापुर सिटी द्वारा पत्रावली संख्या 2610 में पारित आदेश दिनांक 8..03.13 की में खोला गया है तथा अधिशाषी अधिकारी,नगरपालिका के आदेश दिनांक 08.03.13 की अपील किये जाने न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलेक्टर ,सवाईमाधोपुर) द्वारा पारित दिनांक 01.10.2014 से निरस्त किया है।ऐसी स्थिति में अधिशाषी नगरपालिका ,गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 8.03.13 की पालना में नामान्तरकरण का कोई अस्तित्व नही रह जाता है तथा नामान्तरकरण की आड में भूमि का दुरूपयोग

अतिरिक्त कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

अपील संख्या 98/2014

किया जा सकता है जिससे मुकदमेंबाजी बढने की संभावनाए है।: इस आधार पर भी आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 442 अस्तित्वहीन हो जाने से निरस्त होने योग्य है।अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 442 दिनांक 14.03.13 निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या 5/14(न.प.) उनवानी गिर्राज प्रसाद बनाम नगरपालिका,गंगापुर में पारित निर्णय दिनांक 01.10.2014 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

विद्वान् अभिभाषक नगरपालिका,गंगापुर ने बहस में तर्क दिया कि आलोच्य नामान्तरकरण अधिशाषी अधिकारी ,नगरपालिका गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 08.03.13 की पालना में तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा खोला गया था ।जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही थी किन्तु अधिशाषी अधिकारी के आदेश दिनांक 08.03.13 को अपील में सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा प्रकरण को पुनः निर्णयार्थ प्रतिप्रेषित किया गया है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण तो अस्तित्वहीन हो गया है किन्तु मामला पुनः सुनवाई कर निर्णयार्थ विचाराधीन है। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान् वकील उभय पक्ष की बहस सुनने तथा अपीलाधीन मूल नामान्तरकरण व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि उभयपक्षकारान द्वारा इस तथ्य को निर्विववाद रूप से स्वीकार किया है कि आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 442 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गंगापुर सिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.13 की पालना में खोला गया है तथा इस आदेश की अपील होने पर सक्षम न्यायालय के आदेश दिनांक 1.10.14 द्वारा निरस्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में आलोच्य नामान्तरकरण का कोई अस्तित्व नही रह जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी ने इस प्रकार की कोई मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी जिससे यह साबित हो कि सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.10.14 के खिलाफ कोई अपील किसी न्यायालय में विचाराधीन हो तथा उसमें स्थगन हो । ऐसी स्थिति में जब विधिक रूप से मूल आदेश ही निरस्त हो चुका है तो न्यायिक द्धृष्टि से अस्तित्वहीन हुए नामान्तरकरण र्को अस्तित्व में रखने का कोई औचित्य नही है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आलोच्य प्रकरण से सबंधित अधिशाषी अधिकारी,नगरपालिका गंगापुर का आदेश दिनांक 08.03.13 सक्षम न्यायालय से निरस्त हो जाने के कारण तहसीलदार,गंगापुर सिटी द्वारा अधिशाषी अधिकारी,नगरपालिका,गंगापुर के आदेश दिनांक 8.03.13 की पालना में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 442 दिनांक 14.03.13 बाबत आराजी खसरा नम्बर 524 रकबा 52 बिस्वा वाके ग्राम सालौदा बहक नगरपालिका,गंगापुर सिटी का कोई औचित्य नही रह जाने से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलदेव सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर